

28/11/19 वकुलाप प्रप्य जज को
T.E. पेश नही किया अतिरिक्त प्रपल
दिना जमा ही वास्तु पेश होने जख
कोस T.E. हेतु मिसल दिनांक 28/11/19
में पेश हो

28/11/19 वकुलाप प्रप्य 0/ वकील वादीगण।
प्राथीगण के कथन कि प्राथमिक अस्थाई निषेधाज्ञा
पेश करते वक्त प्राथमिक में वर्णित शक्तियों
की तदमील शीमाधारे की शामिल प्राथमिक
में सत्री पत्राकाल व वाद प्राप्त होने की तदमील
शीमाधारे दर्प की जारी है लेकिन वर्तमान
गवहृमिते तदमील खरसेला हो पुरी है अतः
पत्राकाल के नाम पर व वादाप्राथमिक में जारी
आगे तदमील शीमाधारे के खरसेला पर तदमील
खरसेला दुमतर किम जारी

हमने वकील वकील प्राथी के तर्क सुने
जो खरसेला व लुमिते तदमील खरसेला व
उस है अतः यदि जारी दुमतर लाल व यमी
से किया जावे वकील प्राथीगण के कारुण्य प्र.
का जख पेश नही किया वीध- है कदम T.E.
हेतु निवेदन किया। जो तदमील किम मया।
वास्तु कदम टी. आर. दिनांक 27/12/19
को पत्राकाली पेश हो

27/12/19 पत्राकाली पेश हुई वदम T.E. उपप

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

पशुकारान अल्पिमताओं की सुनी गयी तथा उस सगोर मन्ग मिया गया। वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा पत्र मिया गया है तथा अपापीगण द्वारा छोस दावा पत्र मिया गया। छोस दावा में वाद गुप्त शक्ति का नवीन लेवलमेर कक्षपातियों द्वारा अपापीगण की शक्ति का रकबा 0.63 है राफ्त रैमई में संघर्ष प्रार्थीगण पड़ोसी खातेदारों की शक्ति में बाधन रूप शामिल कर दिया है जो का मन्ग मिया हो ~~गया~~ खातेदारी अधिकार में लय होंगे। अतः वाद विचारण तक उपप पशुकारान का पाबन्द मिया जाना उचित प्रतीत होता है इसलिए ~~आदेश~~ आदेश दिया जाता है।

आदेश

श्री अ० न० 395, 396 ता 393, 403, 381
 कुल मिया - 6 रकबा 4.42 है तन ग्राम फरेडपुर
 गोमिमान तक्षीम खण्डेला जिला सीकराण
 में उपप पशुकारान को ता दोराने वाद
 अल्पि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से
 पाबन्द मिया जाता है कि उक्त वाद गुप्त
 शक्तियों की मीमा की स्थायित्वि बनाए
 रखे। पत्रावली फेराम शुमार होके लम्ब
 से कम हो वाद तकमीम दाखिल फरता है।



(^{for} रजिस्ट्रार सिई)
 RAS
 उपखण्ड अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)